प्रेस नोट
दिनांक 05.12.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-*

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश पुत्र ननकू प्रसाद नि0 दुमचकपुरवा राजगढ बाजार थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को बंदरहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.12.2025 को थाना मनकापुर के व0उ0नि0 परशुराम सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान गश्त मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गणेश पुत्र ननकू प्रसाद को बंदरहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गणेश पुत्र ननकू प्रसाद निवासी दुमचकपुरवा, राजगढ़ बाजार, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-549/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 परशुराम सिंह।
02. उ0नि0 प्रशान्त कुमार।
03. उ0नि0 बालमुकुन्द चौहान।
04. हे0का0 सुरेश गुप्ता।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-968/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त तहसीन रजा पुत्र वसीम, निवासी ग्राम अलीजानपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर को गोण्डा-लखनऊ रोड स्थित ग्राम बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2025 को एस0सी0पी0एम0 कालेज गोण्डा की बी0ए0एम0एस0 द्वितीय वर्ष की छात्रा द्वारा छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी। सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। शव के पंचायत नामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतका के पिता मोहम्मद जहीन खां पुत्र मो0 अमीन खां की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त तहसीन रजा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि विपक्षी तहसीन रजा मृतका को मोबाइल फोन के माध्यम से लगातार प्रताड़ित करता था तथा उससे अश्लील बातें करता था तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अपने छात्रावास में आत्महत्या कर ली गयी थी। आज दिनांक 05.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त तहसीन रजा पुत्र वसीम, निवासी ग्राम अलीजानपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर को गोण्डा-लखनऊ रोड स्थित ग्राम बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तहसीन रजा पुत्र वसीम, निवासी ग्राम अलीजानपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-968/2025, धारा108 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 वैभव सिंह।
02. का0 राजू कुमार खरवार।

मीडिया सेल, गोण्डा।
प्रेस नोट
दिनांक 05.12.2025

अर्द्धवार्षिक निरीक्षण पुलिस लाइन

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन का किया गया अर्द्धवार्षिक निरीक्षण, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशः-

आज दिनांक 05.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस लाइन गोण्डा का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा पहुंचकर क्वार्टर गार्ड पर सलामी लेकर प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय एच0ओ0बी0 रजिस्टर व सी0सी0टी0वी0 कैमरो को चेक कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शस्त्रागार का निरीक्षण कर शस्त्रो की साफ-सफाई व रखरखाव के सम्बन्ध में आर्मोरर को दिशा-निर्देश दिए साथ ही कैस कार्यालय पहुंचकर वेतन प्रपत्रों व अन्य पत्रावलियों को चेक किया गया तथा सही से रखरखाव व अद्यतनन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा परिवहन शाखा पहुंचकर वाहनों के उचित रखरखाव, देख रेख, साफ-सफाई तथा सर्विस आदि कराते रहने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही वाहनों में लगे उपकरणों का उपयोग कराकर देखा गया तथा पायी गयी कमियों को तत्काल दूर कराने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा स्टोर रूम को चेक कर आवश्यकतानुसार स्टोर प्रभारी को थानो में सामान वितरण करने तथा सामानों का सही से रखरखाव करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा पुलिस कैंटीन, पुलिस लाइब्रेरी, परिसर का निरीक्षण कर प्राप्त कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक व अन्य पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.12.2025

यातायात जागरूकता के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय मनकापुर जनपद गोण्डा के एनसीसी कैडेट्स को व्यापक रूप से यातायात नियमों के बारे में किया गया जागरूक-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2025 को प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टीएसआई श्री बलराम सिंह द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय मनकापुर के एनसीसी कैडेट्स के साथ एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारीगण द्वारा एनसीसी के कैडेट्स को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कैडेट्स को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा कैडेट्स से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश-

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।